राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

श्रवणी देवी बनाम देवीशंकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
19/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमो को ही उनकी मौखिक बहस माने जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी से प्रथमदृष्टया सन्तुष्ट होकर आदेश दिनांक 08/08/2012 पारित करते हुए रेस्पो./अप्रार्थीगण संख्या 1 लगा. 11 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27/04/2015 पारित करते हुये मूल वाद के निर्णय तक प्रश्नगत भूमि का बैचान अथवा रहन आदि द्वारा हस्तान्तरित नही किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। अत: अपील मीमो के अंकित तथ्यों एवं रेस्पो. की मौखिक बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर मौके पर विवाद की स्थिति पैदा ना हो को दृष्टीगत रखते हुये मूल वाद के निर्णय तक प्रश्नगत भूमि को बैचान अथवा रहन आदि द्वारा हस्तान्तरित नही किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का सशय-सबूत के आधार पर निस्तारण होना अभी शेष है। ऐसी स्थिति में अधिस्न्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित आदेश प्रतीत होता है, जिसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त नही समझा जाता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27/04/2015 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।